Phone No. :- 02932-221077 email address : ddsecpali@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा पाली मण्डल पाली

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक **(गणित टीएसपी क्षेत्र)** के पदों पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमित डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों के निम्नानुसार चयनित किये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार पे बैंड पीबी–2 (9300–34800) ग्रेड पे 4200 में पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उक्त या उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

क्र. स.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता निर्धारण वर्ष	नाम/ पिता–पति का नाम एवं पदस्थापन	पु/म	वर्ग	जिला	जन्म तिथि	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2228 A	2012-13	राजेश शर्मा/घेवरचन्द शर्मा राउप्रावि हीरापुरा सिरोही	पु	सामान्य	सिरोही	05/05/74	राउमावि सांतपुर (आबूरोड)	सिरोही

यह पदस्थापन आदेश निम्न शर्तो के अध्याधीन जारी किये जाते हैः–

1. इन कार्मिकों को अपने पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर **दिनांक 07.11.2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुए उनका पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।
2. सम्बन्धित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिकों को निर्धारित तिथी तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है, तो सम्बन्धित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पाली मण्डल पाली को स्वीकृति हेतु दिनांक 09.11.2017 तक अनिवार्यतः भिजवा दे। सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का इन्द्राज अनिवार्य रूप से करें।
3. इन कार्मिकों को कार्यग्रहण करते समय राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7 (1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथ पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा कार्मिक के विषय से सम्बन्धित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता का मिलान मूल अंकतालिका/प्रमाण पत्रों से अनिवार्य रूप से करने के पश्चात् ही कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जावें अन्यथा भिन्नता की स्थिति में तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
5. यदि सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है/निलम्बित है/ न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनकों कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी जरिये ईमेल ddsecpali@gmail.com एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित करेंगें।
6. यह पदोन्नति आदेश एतद विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं व डी.बी सिविल स्पेशन अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अन्तरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।
7. सूची में अंकित कार्मिक यदि अन्तरमण्डल स्थानान्तरित हो गये है, तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

सलंग्न :– सूची

(सीसराम)
शिक्षा उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा पाली

कमांकःशिउनि/माध्यं/पाली/संस्था–1/डीपीसी–पदस्थापन/2017/903 दिनांक :– 28-10-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
3. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
6. सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
8. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा संस्था प्रधान।
9. अवधायक संस्थापन–2/शाला दर्पण कार्यालय हाजा।
10. रक्षक पंजिका।

ro rerd.ifufl

शिक्षा उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा पाली

www.rajteachers.com